न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

अपीलार्थीयागण :–

1. लिछमाई उर्फ लक्ष्मी पुत्री भींयाराम पत्नी आपूराम जाति राईका, निवासी गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली।
2. साउ उर्फ सायरी पुत्री भींयाराम, पत्नी रूघाराम राईका निवासी बाण्डाई तहसील रोहट जिला पाली।

ब ना म

प्रत्यर्थीगण : –

1. मोरकी पुत्री भींयाराम पत्नी रेंवतराम जाति राईका निवासी देरियामेरिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
2. तगुड़ी पत्नी चौथाराम जाति देवासी, निवासी बाणियावास तहसील लूणी जिला जोधपुर ।
3. ग्राम पंचायत मोड़ी जोशियान जरिये सरपंच तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध नामान्तरणकरण आदेश संख्या 124 दिनांक 07.04.1991
ग्राम पंचायत मोड़ी जोशियान द्वारा पारित।

——

उपस्थिति : –

1. अपीलार्थीयागण की ओर से अधिवक्ता –प्रेम कुमार देवड़ा
2. प्रत्यर्थी एक की ओर अधिवक्ता ईश्वर सिंह

दिनांक – 10-9-2025

– : निर्णय : –

अपीलार्थीयागण द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 124 दिनांक 07.04.1991 ग्राम पंचायत मोड़ी जोशियान तहसील लुनी, जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध अपील पेश गई। गांव बाणीयावास तहसील लूणी में कृषि भूमि खसरा नं0 40, 65 व 263 कुल रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा स्थित है जिसके खातेदार भींयाराम पुत्र वेनाराम राईका थे भीयाराम के खाते में अन्य भूमि खसरा नं0 110 गांव बाणीयावास में स्थित है जो उनके स्वर्गवास पर उनकी पत्नी व तीनो पुत्रीयों के नाम दर्ज की गई। अपीलार्थीयागण ने जमाबन्दी एवं उक्त नामान्तकरण की नकल लेने पर यह ज्ञात हुआ कि खसरा नं0 40, 65, 263 में अपीलार्थीया का नाम ही दर्ज नहीं है, पटवारी हल्का से कारण पुछने पर अपीलार्थीया को बताया की भींयाराम के फौत होने पर खाता मोरीदेवी के नाम दर्ज किया गया जिसने आगे बेचान तगुड़ी को कर दिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 124 केवल मोरीदेवी के नाम ही स्वीकार किया गया जिस हेतु उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील पेश कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 124 को निरस्त किया जाकर स्व. भींयाराम के सभी वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु निवेदन किया है। अपीलार्थीगण अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तरकण की पहले जानकारी नहीं होने से अपील अन्दर म्याद सुमार किये जाने का निवेदन किया है।

अपीलार्थीयागण के अधिवक्ता द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इसे पंजीबद्ध की जाकर अधिवक्ता अपीलार्थीयागण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किये जाने पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.10.2020 को जारी की गई। प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड एडी भेजे जाकर तलब किया गया, जिनकी तामिली नियमानुसार प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ईश्वर सिंह द्वारा वकालतनामा पेश करने पर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में रेस्पोडेन्ट्स को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अपना जवाब पेश नही किये जाने पर जवाब बंद किया गया। तहसीलदार लूणी से मूल नामान्तरकरण संख्या 124 दिनांक 07.04.1991 प्राप्त किया जाकर अवलोकन किया गया।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मिमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कानून के विरूद्ध है। उन्होने यह भी कहा कि स्वर्गीय भींयाराम पुत्र वेनाराम की अपीलार्थीयागण पुत्रिया है तथा प्रत्यथी संख्या 1 भी मृतक की पुत्री है तथा उनके देहान्त के बाद अपीलांट सहित सभी वारिसान का हिस्सा संयुक्त रूप से बराबर चला आ रहा है और मौके पर काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अकेले ही अपने नाम से उक्त आराजी को अपने नाम करवा लिया जो न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलार्थीयागण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि धारा 08 व धारा 09 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 का उल्लंघन है इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होना बताया। अपीलार्थीयागण के विद्वान अभिभाषक ने अपने बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व मृतक भींयाराम पुत्र वेनाराम के विधिक वारिसान की सही जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कानून के विपरीत है। उक्त कृषि भूमि पैतृक है जिसका वसीयतनामा अपंजीकृत होने से सरपंच ग्राम पंचायत मोड़ी जोशियान को इसका नामान्तरकरण आदेश स्वीकार करने का अधिकार नहीं बनता है जो कि कथई उचित प्रतीत नहीं होता है। वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के ग्राम पंचायत को कोई अधिकार ही नहीं थे ऐसे दस्तावेज के आधार पर कार्यवाही नियमति वाद अथवा धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत तहसीलदार के समक्ष ही की जा सकती है।

हमने पत्रावली का विस्तृत अवलोकन व एक पक्षीय बहस अधिवक्ता अपीलार्थीयागण की सुनी व बहस पर मनन किया। अपीलार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थनापत्र धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीयागण की अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि मृतक भींयाराम पुत्र वेनाराम के स्वर्गवास होने के पश्चात उसके हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि पर हक उनके प्रथम श्रेणी के वारिसानो का होता है। चुंकि उक्त कृषि भूमि पैतृक होने से खातेदार अपने संपूर्ण हिस्सा का वसीयतनामा किसी एक वारिस के नाम कानूनन निष्पादित नहीं किया जा सकता है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के तहत अपीलार्थीयागण भींयाराम पुत्र वेनाराम के प्रथम श्रेणी की वारिस है इनका नाम भी अपीलाधीन नामान्तरकरण में होना चाहिए।

अतः अपील अपीलार्थीयागण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 124 गावं बाणियावास ग्राम पंचायत मोड़ी जोशियान द्वारा दिनांक 07.04.1991 को पारित किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 124 एंव इसके पश्चावर्ती सभी नामान्तकरण को निरस्त किया जाता है। न्यायालय हाजा के अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी दिनांक 26.10.2020 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार लुनी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि स्व. भींयाराम पुत्र वेनाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसो की जांच कर नियमानुसार नामान्तरणकरण की कार्यवाही नये सिरे से एक माह के भीतर पूर्ण करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज कंसोटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 10-9-25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी